रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY 27 JAN 1973
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 14] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 10, 1973/पौष 20, 1894
No. 14] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 10, 1973/PAUSA 20, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

ORDERS

New Delhi the 5th January 1973

S. O. 15 (E).—In pursuance of the directions issued under the provisions of the enactments specified in the First Schedule annexed hereto the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the films specified in column 2 of the Second Schedule annexed hereto in all its their language versions to be of the description specified against it/each in column 6 of the said Second Schedule.

THE FIRST SCHEDULE

(1) Sub-Section (4) of the Section 12 and Section 16 of the Cinematograph Act, 1952 (Central Act XXXVII of 1952);

(2) Sub-Section (4) of Section 5 of the Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) Act, 1955 (Uttar Pradesh Act 3 of 1956)

THE SECOND SCHEDULE

Sl. No.	Title of the film	Length 35 mm	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news & current events or a documentary film
1	2	3	4	5	6
1.	Uttar Pradesh Samachar No. 16	284·00 Metres	Director of Information Government of Uttar Pradesh, Lucknow.		Film dealing with news and current events (For release in Uttar Pradesh Circuit only).

[No. F. 28/1/72-F(P) Ap. p. 1746]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 1973

एस० ओ० 15 (अ).—इसके साथ लगी अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियम के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किये गये निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्द्वारा , के साथ लगी द्वितीय अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्म को उसके सभी भाषाओं के रूपान्तर सहित, जिसका विवरण उसके सामने उक्त द्वितीय अनुसूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है :—

प्रथम अनुसूची

(1) चलचित्र अधिनियम, 1952 (का 37वां केन्द्रीय अधिनियम) की धारा 12 की उपधारा (4) तथा धारा 16।

(2) उत्तर प्रदेश सिनेमा (विनियम) अधिनयिम, 1955 [1956 का 3—उत्तर प्रदेश अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (4)]।

द्वितीय अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	फिल्म की लम्बाई 35 मि०मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा सम्बंधी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमेन्ट्री फिल्म है ।
1	2	3	4	5	6
1.	उत्तर प्रदेश समाचार संख्या 16	284.00 मीटर	सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ		समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म । (केवल उत्तर प्रदेश सर्किट के लिए) ।

[सं० फा० 28/1/72—एफ०पी०—परिशिष्ट 1746]

S. O. 16(E).—In pursuance of the directions issued under the provision of each of the enactments specified in the First Schedule to the order of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. S.O. 3792 dated the 2nd December, 1966, the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Bord, Bombay hereby approves the films specified in column 2 of the Schedule annexed hereto in all its/their language versions to be of the description specified against it/each in column 6 of the said Schedule.

SCHEDULE

Sl. No.	Title of the film	Length 35 mm	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or film dealing with news and current events or a documentary film
1	5	3	4	5	6
1.	I.N.R. No. 1262 (Southern Edition).	264·87 Metres.	Films Division Government of India, 24-Peddar Road, Bombay-26.		Film dealing with news and current events. (For release in Southern States *i.e.* Andhra Pradesh, Kerala, Mysor eand Tamil Nadh.

[No. F. 28/1/72-FP App. 1747].

एस०ओ० 16(अ).—भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश संख्या एस०ओ० 3792, तारीख 2 दिसम्बर, 1966 की प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियमों के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किए गए निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्द्वारा, इसके साथ लगी अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्म को उसके सभी भारतीय भाषाओं के रूपान्तरों सहित जिसका विवरण उसके सामने उक्त सूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है ।

अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	लम्बाई 35 मि०मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा सम्बन्धी फिल्म है या समाचार और सामायिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमैन्ट्री फिल्म है
1	2	3	4	5	6
1.	भारतीय समाचार समीक्षा संख्या 1262 (दक्षिणी संस्करण)	264.87 मीटर	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार 24—पैडर रोड, बम्बई—26		समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म (केवल दक्षिण प्रान्त) आंध्र प्रदेश, केरल, मैसूर, तमिल नाडू में प्रदर्शित करने के लिये ।

[सं० फा० 28/1/72—एफ० पी० परिशिष्ट 1747]

S.O. 17(E).—In pursuance of the directions issued under the provision of each of the enactments specified in the First Schedule to the order of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. S.O. 3792 dated the 2nd December, 1966, the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board Bombay hereby approves the film specified in column 2 of the Schedule annexed hereto in all its/their language versions to be of the description specified against it/each in column 6 of the said Schedule.

SCHEDULE

Sl. No.	Title of the film	Length 35 mm	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news and current events or a documentary film
1	2	3	4	5	6
1.	INR No. 1262	180·74 Metres	Films Division, Government of India, 24-Peddar Road, Bombay-26.		Film dealing with news and current events.
2.	Arming the Mountains	294 00 Metres.	Do.		'Educational'
3.	Parbhat	244·00 Metres.	M/s. Vithal and Co. Prabhu Building, 1st Floor, Mongal Lane, Mahim, Bombay-16.		Do.
4.	Aur Mazdoor Malik Bana	240 00 Metres.	Do.		Do.
5.	Birju Maharaj	565·10 Metres	Chidanda Das Gupta C/o B. D. Garga D-11 Aommence Centre, Tardeo Road, Bombay-34.		'Documentary'
6.	You can Prevent Burns	259·08 Metres	M/s. Shyam Bengal Sahyadri Films Jyoti Studios Bombay-7.		'Education
7.	Bin Bulaye Mehmaan	200·56 Metres	Krishan Chander St. Francis Avenue, Santa Cruz West, Bombay-54.		Do.

[No. F. 28/1/72-FP App. 1748]
HARJIT SINGH, Under Secy.

एस० ओ० 17(अ).—भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश संख्या एस० ओ० 3792, तारीख 2 दिसम्बर, 1966 की प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियमनों के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किए गए निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्द्वारा इसके साथ लगी अनुसूची के कालम 2

में दी गई फिल्मों को उनके सभी भारतीय भाषाओं के रूपान्तरों सहित, जिनका विवरण प्रत्येक के सामने उक्त सूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है ।

अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	फिल्म की लम्बाई 35 मि०मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा संबंधी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमेन्ट्री फिल्म है ।
1	2	3	4	5	6
1	भारतीय समाचार समीक्षा सं० 1262	180.74 मीटर	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24, पैडर रोड, बम्बई–26		समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म
2.	ग्रारमींग दी माउंटेन्स	294.00 मीटर	–तथैव–		"शिक्षा सम्बन्धी"
3.	प्रभात	244.00 मीटर	मैसर्स विट्ठल कम्पनी, प्रभू बिल्डिंग, प्रथम तल, मंगल लेन महीम, बम्बई–16		–तथैव–
4.	और मजदूर मालिक बना	240.00 मीटर	–तथैव–		–तथैव–
5.	बिरजू महाराज	565.10 मीटर	चिदानंद दास गुप्ता मार्फत बी० डी० गर्ग, डी–11, कामर्स सैन्टर, तारदेव रोड, बम्बई–34		डाकुमेन्ट्री
6.	यू० कैन प्रीवैन्ट बर्न्स	259.08 मीटर	मैसर्ज श्याम बैनेगल शयादरी फिल्म्स, ज्योति स्टूडियोज, बम्बई–7		"शिक्षा संबंधी"
7.	बिन बुलाये मेहमान	200.56 मीटर	कृष्ण चन्द्र, सेन्ट फ्रांसिस एवेन्यू, सान्ता क्रूज वैस्ट, बम्बई–54 ।		"शिक्षा संबंधी"

[सं० फा० 28/1/72–एफ० पी० परिशिष्ट 1748]

हरजीत सिंह, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973